उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-95/2017/963/92-2-17-04सूचना/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 19 जून,2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बलरामपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्ग श्रीदत्तगंज-गोमडी से चवई खुर्द तक लिंक मार्ग के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के फलस्वरूप मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिचांई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा की गयी जॉच आख्या दिनांक 31-03-2017 एवं 26.04.2017 में परिलक्षित शासकीय क्षति की धनराशि रू0 7,48,672.00 के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अभिमन्यु सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-95/2017/963(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 के पत्र सं0-जी-168/एस0टी0'सी0टी0ई0/2784-176/20/2016-17 दिनांक 31-03-2017 एवं पत्र सं0-59/एस0टी0'सी0टी0ई0/2784-176/20/16-17 दिनांक26-04-2017 की संलग्नक सहित **छायाप्रति** इस आशय से प्रेषित कि श्री अभिमन्यु सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर साक्ष्यों सहित शासन को (दो प्रतियों में) 03 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ।

3- श्री अभिमन्यु सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता,(सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in